

कार्यालय जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), करौली

["मुख्यमंत्री जल स्वच्छता अभियान" प्रकल्प]

क्रमांक: एफ()जिपक/डब्ल्यूसीडीसी/2016-17/10874

दिनांक 30/11/16


ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में कार्य करवाने हेतु पेनल तैयार करने बाबत संस्थाओं/संगठनों से

रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण

(EXPRESSION OF INTEREST)

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ()जिपक/निर्माण/2016-17/ जयपुर दिनांक 25.11.2016 की पालना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में करवाये जाने वाले विभिन्न कार्यों यथा जलग्रहण क्षेत्र विकास प्रबन्धन ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य जल का पुनर्भरण एवं भू जल रिचार्ज का कार्य, साझा वन प्रबन्धन एवं वृक्षारोपण के कार्य एवं अन्य हेतु इच्छुक सोसायटी/संस्था अधिनियम में 5 वर्ष से पूर्व पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं से पेनल तैयार करने के लिये रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) हेतु आमंत्रण पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। संस्था द्वारा उक्त विभागीय पत्र दिनांक 25.11.2016 के बिन्दू संख्या 1,2 एवं 3 उल्लेखित सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये अपना विस्तृत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 10.01.2017 तक मुख्यालय पर दोपहर 2 बजे तक मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, करौली को समस्त दस्तावेजों की प्रतियों सहित प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनो का जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण पर गैर सरकारी संस्था का चयन किया जाएगा।

विस्तृत आवेदन पत्र एवं विभाग पत्र क्रमांक एफ 4()सामान्य/विधि/परा/2016/875 जयपुर दिनांक 25.11.2016 राज्य लोक उपापन पोर्टल SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। अथवा अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक वाटरशैड, जिला परिषद (ग्रा।वि।प्र।)करौली कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।


मुख्यकार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद करौली